सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 654 / सो.आ.नि.–309 / 2014
दिनाँकः 18 मार्च, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के बकाया मानदेय / नियत यात्रा भत्ता की सूचना का प्रेषण।**

महोदय,

जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को वर्ष 2013–14 में अनुमन्य मानदेय / यात्रा भत्ता के भुगतान हेतु इस निदेशालय द्वारा धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जाती रही है। निदेशालय का प्रयास रहेगा कि वर्ष 2013–14 में फरवरी, 2014 तक के लिए DSAC/BSACs को मानदेय एवं नियत यात्रा भत्ता का भुगतान नियमानुसार दिनांक 31–3–2014 के पूर्व कर दिया जाए। अतः कृपया अपने जिला विकास अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि इस निदेशालय के पत्र संख्या 515 / सो0आ0नि0–346 / 2014 दिनांक 15–1–2014, 519 / सो0आ0नि0–346 / 2014 दिनांक 16–1–2014 तथा 581 / सो0आ0नि0–346 / 2014 दिनांक 07–2–2014 में दिए गए निर्देशानुसार भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता खोलते हुए विवरण, यदि अभी तक न भेजा हो, इस निदेशालय को तत्काल भेजें।

उक्त के अतिरिक्त यदि आपके जनपद में संविदा के आधार पर तैनात किसी DSAC/BSACs को वर्ष 2012–13 का कोई मानदेय / यात्रा भत्ता का भुगतान धनाभाव के कारण लम्बित हो, ऐसे मामलों की सूचना मानदेय / नियत यात्रा व्यय की अनुमन्यता से संतुष्ट होते हुए कृपया निम्नांकित प्रारूप पर वांछित है :–

क्र0 सं0	नाम / पदनाम	जिला / विकास खण्ड का नाम	माह / वर्ष	अनुमन्य धनराशि			अभ्युक्ति
				मानदेय	नियत यात्रा भत्ता	योग	

कृपया उक्त सूचना दिनांक 21–3–2014 तक ई–मेल socialauditup@yahoo.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि :–

समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्त सूचना तत्काल प्रेषित करने हेतु।

(शंकर सिंह)
निदेशक।